रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-73

REGISTERED No. D. (DL)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 7] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1982/अग्रहायण 27, 1904
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1982/AGRAHAYANA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

जयपुर, 22 नवम्बर, 1982

आदेश संख्या : राज०/सहा०आ० अर्जन/1444 .—यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 मार्च 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भोजा पुत्र श्री जगन्नाथ निवास ग्राम विजयपुर बास मानसुर तहसील व जिला जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री ठाकुर कर्नल गोविन्द सिंह पुत्र स्व० जर्नल भरू सिंह, शिवछाया, खासीपुरा रोड, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)-के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि स्थित ग्राम विजयपुरा बास नानसुर तहसील एवं जिला जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 423 दिनांक 3 मार्च, 1982 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवर्णित है ।

तारीख 22-11-82

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Office of the I.A.C. Acquisition Range, Jaipur.
Notice under Section 269D(I) of the Income Tax Act, 1961
(43 of 1961)

Jaipur, the 22nd November, 1982

No. Re. (IAC|Acq.)|1444.—Whereas, I to Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Agri. land situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Act, 1908 (16 of 1908) in the Office parent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwcen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of anv income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhinwa S/o Shri Jagannath (Transferor)
R/o Vijaypura Bas, Nanusar,
Teh. & Distt. Jaipur.

(2) Shri Thakur Col. Govind Singh S|o (Transferee)
Late Gen. Bherun Singh, Shiv Chhaya Building,
Khatipura Road, Jaipur.

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Agri. Land situated at Village Vijaypura Bas, Nanusar Teh. & Distt. Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur, vide Nos. 422 and 423 dated 3-3-82.

Dated : 22-11-1982.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (I) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1445 .—यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 मार्च, 1982 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय, किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भंवा पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम विजयपुरा बास नानसुर तहसील व जिला जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री ठाकुर कर्नल गोविन्द सिंह पुत्र स्व० जर्नल भैरु सिंह शिवछाया, क्वीन्स रोड, खातीपुरा, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

ग्राम विजयपुरा बास नानुसर तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 422 दिनांक 3-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

तारीख 22-11-82

Notice under section 269D (I) of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. : Rej/IAC(Acq.)/1445.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Agri.land. situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registerting Officer at Jaipur on 3-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there of by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jhuta S/o Shri Jagannath, R/o Vijaypura Bas, Nanusar, Teh. & Distt. Jaipur. (Transferor)

(2) Shri Thakur Col. Govind Singh S|o Late Gen. Bherun Singh, Shiv Chhaya Building, Khatipura Road, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Agri. land Situated at village Vijaypura Bas, Nanusar Teh. & Distt. Jaipur and more fully described in the sale deed registered S. R. Jaipur vide Nos. 422 & 423 dated 3-3-1982.

Date : 22-11-1982

आयकर अधिनियम 1961 (19 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1446.—यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है) कि स्थावर सम्पत्ति, जिस का उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरणा से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरीश कुमार चौधरी एवं श्री किशोरीलाल चौधरी (अन्तरक)

(2) श्रीमती पार्वति देवी पत्नी श्री नन्द किशोर सक्सेना, बी-2, मंगल सिंह मार्ग, जयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से, 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि स्थित ग्राम विशनावाला तह० जयपुर का उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 736 दिनांक 16-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

तारीख 22-11-82

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. : Raj|IAC (Acq.)|1446.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax, Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Agri. land situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of (1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not, been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269 D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Harish Kumar Chaudhary & (Transferror)
Shri Kishorilal Chaudhary,
Village Khatipura, Jaipur.

2. Smt. Parvati Devi W|o Shri Nand Kishore Saxena, (Transferee)
B-2. Bhagat Singh Marg, Jaipur.

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Office Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land situated at Bishnawala, Teh. Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Jaipur vide No. 736 dated 16-3-82.

Dated 12-11-1982

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज /सहा०आ०अर्जन/1447 .—यत. मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 मार्च, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति, के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11 या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री हरीशकुमार पुत्र श्री बच्छूमल निवासी 376, आर्यमानगर, जयपुर (अन्तरक) ।

(2) श्रीमती अलका कपूर धर्मपत्नि श्री एम० के० कपूर निवासी बी-5, न्यूकालोनी जयपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जयपुर नगर चोकडी हवाली शहर मिजां इस्माईल रोड़, सरस्वती मार्ग में एक प्लाट सं० ए० जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 724 दिनांक 16 मार्च, 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. : Raj|IAC (Acq.) 1447.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot-A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Office at Jaipur on 16-3-1982

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such appatent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Choith Ram S/o Shri Bachchumal, R/O 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shrimati Alka Kapoor W/o Shri M. K. Kapoor, R/o 8-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 5 situated at Chokari Hawali Shahar Mirza Ismail Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 724 dated 16-3-1982.

Date : 22-11-1982

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1448.— यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 मार्च, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त, अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा , नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री चन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चूमल निवासी 376, आदर्श नगर, जयपुर (अन्तरक)।

(2) श्री त्रिपुल कपूर पुत्र श्री एम० के० कपूर संरक्षिका श्रीमती अलका कपूर निवासी बी-5, न्यू कालोनी, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर मिर्जा ईस्माईल रोड़, सरस्वती मार्ग, में प्लाट नं० ए०, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 725 दिनांक 16-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

तारीख 22-11-82

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1448.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot-A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the

parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandra Kumar S/o Shri Bachchumal, R/O 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shri Vipul Kapoor S/o Shri M. K. Kapoor, Guardian Smt. Alka Kapoor, R/o B-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot No. A situated at Chokari Hawali Shahar, Mirza Ismail Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 725 dated 16-3-1982.

Date : 12-11-1982

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा० आ० अर्जन/1449 —यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० ए है तथा जो जयपुर मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्तसे अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .—

(1) श्री चन्द लाल पुत्र श्री बच्छूमल निवासी 376, आदर्श नगर, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती अलका कपूर धर्मपत्नी श्री एम० के० कपूर निवासी बी-5, न्यू कालोनी, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप-

(क) इस सूचना के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जयपुर शहर चोकड़ी हवाली शहर, मिर्जा इस्माईल रोड़, सरस्वती मार्ग, जयपुर में एक प्लाट नं० ए० जोत उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 726 दिनांक 16-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

तारीख : 22-11-82

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. : Rej/IAC (Acq.)/1449.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot-A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nand Lal S/o Shri Bachumal, R/o 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shrimati Alka Kapoor W/o Shri M. K. Kapoor, R/o 8-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 5A situated at Chokari Howali Shahar, Mirza Ismail Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 726 dated 16-3-1982.

Date.—22-11-1982.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सह०आ०अर्जन/1450—यतः मुझे, मोहन सिंह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे (इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी प्लाट नं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 मार्च, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में यथार्थिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के प्रयोजन के लिए, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वासूमल पुत्र श्री बचूमल निवासी 376, आदर्श नगर, जयपुर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती अलका कपूर धर्मपत्नी श्री एम० के० कपूर निवासी बी-5, न्यू कालोनी, जयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जयपुर नगर चोकड़ी हवाली शहर मिर्जा इस्माईल रोड, सरस्वती मार्ग, जयपुर में एक प्लाट नं० ए० जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रय संख्या 727 दिनांक 16-3-82 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

तारीख 22-11-82

Notice under Section 269D (1) of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. Raj/IAC(Acq)/1450.—Whereas, I Mohan Singh, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing Plot No. A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Office at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Vasumal S/o Shri Bachumal, R/o 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shrimati Alka Kapoor W/o Shri M. K. Kapoor, R/o E-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. A situated at Chokari Hawali Shahar, Mirza Ismail Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 727 dated 16-3-1982.

Dated.—22-11-1982.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (I) के अधीन सूचना

आदेश संख्या : राज०/सहा०आ०अर्जन/1451.—यतः मुझे मोहन सिंह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी प्लाट नं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख 16 मार्च, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 का (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री बच्चूमल निवासी 376, आदर्श नगर, जयपुर। (अन्तरक)

(2) श्री विपुल कपूर पुत्र श्री एम०के० कपूर संरक्षिका श्रीमती अलका कपूर, बी-5, न्यू० कालोनी, जयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर, मिर्जा इस्माईल रोड, सरस्वती मार्ग, जयपुर में एक प्लाट नं० ए जो उप पंजियक के, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 728 दिनांक 16-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

तारीख 22-11-82

Notice under Section 269D (I) of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/1451.—Whereas, I, Mohan Singh, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing Plot No. A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiya Lal S/o Shri Bachumal, R/o 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shri Vipul Kapoor, S/o Shri M. K. Kapoor, Guardian Smt. Alka Kapoor R/o 8-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30

days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publicaton of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXAof the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot No. A, situated at Hawali Shahar, M. I. Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 728 dated 16-3-1982.

Date : 22-11-82.

(आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या राज०/सहा०/आ० अर्जन/1452.—यतः मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 का (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने के उससे बचने में सुविधा के लिये, और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सीतादेवी पत्नि बच्चूमल, 376, आदर्शनगर, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री विपुल कपूर पुत्र श्री एम०के० कपूर संरक्षिका श्रीमति अलका कपूर, बी०-5, न्यू कालोनी, जयपुर (अन्तिरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० ए०, सरस्वती मार्ग, एम०आई० रोड, जयपुर जो उपपंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 729 दिनांक 16 मार्च, 82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

तारीख 22-11-81

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Ref. No. : Raj/IAC(Acq.)/1452.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot-A situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer, at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideraion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sita Devi W|o Shri Bachchumal, R|O 376, Adarsh Nagar, Jaipur (Transferor)

(2) Shri Vipul Kapoor S/o Shri M. K. Kapoor, through gardian Smt Alka Kapoor, R/o B-5, New Colony, Jaipur (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Plot No. A situated at Saraswati Marg, near M. I. Road, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 729 dated 16-3-1982.

Date : 22-11-1982.

(आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ग(1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या राज०/सहा०आ० अर्जन/1453.—यत. मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संमकाम तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृध्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृध्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृध्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तथा पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922(1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सत्यनारायण मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र शंकर, सी०-19, कृष्णा मार्ग, सी०-स्कीम, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री पदम सिंह उज्जवल, सी०-28, बापू नगर, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का भाग, बरकतनगर, रूपारामपुरा, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 575 दिनांक 15-3-1982 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

तारीख 22-11-82

Notice under Section 269D (1) of the Income Tax Act. 1961 (43 of 1961)

Ref. No. : Raj|IAC(Acq.)|1453.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. House situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Office at Jaipur on 16-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent Consideration there of by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Satyanarain Mishra S/o Shri Rajendra Shanker, C-19, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur Transferor)

(2) Shri Padam Singh Ujjawal, C-28, Bapu Nagar, Jaipur. (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publicaton of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

House situated in Barakat Nagar Rupa Rampura, Tonk Phatak, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S.R. Jaipur vide No 576 and 575 dated 16-3-82.

Date : 22-11-82.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

आदेश संख्या राज०/सहा० आ०/अर्जन/1454 :—यत: मुझे मोहन सिंह आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 25000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: —

(1) श्री सत्यनारायण मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र शंकर, सी०-19, कृष्णा मार्ग, सी०-स्कीम, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती मगन कंवर पत्नी श्री लाल सिंह, सी०-28, बापूनगर, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्स्थानी विज्ञापन पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जयपुर, टोंक फाटक, रामपुरा रूप में मकान सम्पत्ति में हिस्सा जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 576 दिनांक 15-3-82 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप विवरणित है।

तारीख 22-11-82

मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयुक्त आयकर (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

Notice Under Section 269 D (1) of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. : Raj/IAC(Acq.)/1454.—Whereas, I Mohan Singh being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. house situated at Jaipur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jaipur on 15-3-1982 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideraion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Satyanarain Mishra S/o Shri Rajendra Shanker C-19, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur. (Transferor)

(2) Shrimati Magan Kanwar W/o Shri Lal Singh C-28, Bapu Nagar, Jaipur, (Transferee)

objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other persons, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publicaton of this notice in the official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

House situated in Barkat Nagar, Rampura, Tonk Phatak, Jaipur and more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide No. 576 dated 15-3-1982.

Date : 22-11-82.

MOHAN SINGH, Competent Authority,
Inspecting Assistant,
Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982